PRIYANSHU PANDE

Digitally signed by PRIYANSHU PANDE
Date: 2025.09.13 17:57:24 +0530

आर.सी.टी. 2995/22

13-09-2025

1— **राष्ट्रीय लोक अदालत, सितंबर 2025**

2— राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

3— अभियुक्त सहित/द्वारा सुश्री गीता शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

4— प्रकरण परस्पर समझौते द्वारा निराकरण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत, 2025 में सुनवाई हेतु लिया गया।

5— उभयपक्ष द्वारा पूर्व पेशी दिनांक पर एक लिखित, हस्ताक्षरित एवं छायाचित्रयुक्त राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

6— अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भाग–2 भा.द.वि. शमनीय प्रकृति के हैं। आवेदक अपराध का शमन करने में सक्षम है। पूर्व पेशी दिनांक पर फरियादी से पूछे जाने पर उसने राजीनामा स्वैच्छिक, बिना किसी डर व दवाब के किया जाना व्यक्त कर शपथ पर कथन किये थे।

7— अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप अभियक्त **गुड्डा उर्फ सोनू पिता अंतरसिंह परासिया** को धारा **294, 323, 506 भाग–2** भा.द.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

8— अभियुक्त के मुचलके भारमुक्त कर निरस्त किये जाते हैं।

9— अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जाए।

10— प्रकरण का परिणाम सी.आय.एस. व संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

सुश्री चांदनी सिंह
{अधिवक्ता सदस्य}
खण्डपीठ क्र.–14
जिला देवास, म.प्र.

श्री प्रियांशु पांडे
{पीठासीन अधिकारी}
खण्डपीठ क्र.–14
जिला देवास, म.प्र.